बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०–9/आ०–02–29/2022(स्वा०) .... /   पटना, दिनांकः–.....................

डा० राजेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया के विरूद्ध जेनरेटर संचालक को वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 3,43,935/–रू० अधिक भुगतान करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–1602(9) दिनांक–27.12.2019 एवं संशोधित संकल्प सं0–997(9) दिनांक–10.09.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रविदन में डा0 सिंह के विरूद्ध उनके कार्यकाल के अतिरिक्त पूर्ववर्ती उपाधीक्षक के पदस्थापन अवधि का भी विपत्र जेनरेटर संचालक को भुगतान करने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक–723(9) दिनांक–05.09.2022 द्वारा डा0 सिंह से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। डा0 सिंह द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया है कि जिस समादेश याचिका सं0–16211/2017 में दिनांक–08.10.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में डा0 सिह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है उसे दिनांक–12.07.2022 को पारित आदेश में खारिज कर दिया गया है। विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता को काली सूची में नाम दर्ज करने संबधित निर्गत आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज कर दिया गया है।

4. विभागीय पत्रांक–1109(9) दिनांक–06.10 2023 द्वारा सिविल सर्जन, गया से डा0 सिंह के पदस्थापन अवधि में किये गए भुगतान के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी। सिविल सर्जन, गया के पत्रांक–3855 दिनांक–08.12.2023 द्वारा संयुक्त जाँच समिति के पत्रांक–365 दिनांक–08.12 2023 के आधार पर प्रतिवेदित है कि डा0 सिंह द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–2018 में 3,43,935/– रू० अधिक भुगतान किया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ0 सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन, एवं द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि समादेश याचिका सं0–16211/2017 में दिनांक–12.07.2022 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिकाकर्त्ता के NRHM की अनियमित रूप से निकासी की जॉच CBI से कराने का अनुरोध को खारिज किया गया है। जेनरेटर संचालक को अधिक भुगतान करने वाले दोषी चिकित्सा पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने पर रोक नहीं लगाई गयी है। डा0 सिंह द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर में जेनरेटर संचालक को अधिक भुगतान करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर अप्रासांगिक तथ्यों को अंकित किया गया है। फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ0 सिंह के विरूद्ध जेनरेटर संचालक को 3,43,953/–रू० अधिक भुगतान करने के आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(क) के अधीन पेंशन स्वीकृति की तिथि से 05% (पाँच प्रतिशत) पेंशन 03 (तीन) वर्षो तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

13/02/2025

(15)

6. विभागीय संशोधित संकल्प सं0–660(9) दिनांक–05.08.2024 द्वारा डा0 सिंह दिनांक–31.01.2024 को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके सेवाकाल मे संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सम्परिवर्तित किया गया।

7. विभागीय पत्रांक–661(9) दिनांक–05.08.2024 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–3556 दिनाक–17.12.2024 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

8. डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया के विरूद्ध जेनरेटर संचालक को कुल 3,43,935/–रू० अधिक भुगतान करने के आरोप में पेशन स्वीकृति की तिथि से 05% (पॉच प्रतिशत) पेंशन 03 (तीन) वर्षो तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

9. इसमें राक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–02–29/2022(स्वा0) 144(9) **/ पटना, दिनांकः–** 17.2.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया पत्राचार का पता–ग्राम--चंडी स्थान पोस्ट, दरीऔरा, थाना--आमस गया, पिन–824211 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/02/2025

सरकार के अवर सचिव।